



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 2, 2015/फाल्गुन 11, 1936

No. 55]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 2, 2015/PHALGUNA 11, 1936

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2015

फा. सं. 11/14/2013-पीआर.—इस मंत्रालय की 14 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 5(88)/2006-पीआर, में आंशिक संशोधन करते हुए 01 अप्रैल, 2015 से गैर-सरकारी भविष्य निधियों, अधिवर्षिता निधियों तथा उपदान निधियों द्वारा निवेश की निम्नलिखित पद्धति अपनायी जाएगी:—

श्रेणी	निवेश की पद्धति	निवेश की जाने वाली प्रतिशत राशि
(i)	सरकारी प्रतिभूतियां तथा संबंधित निवेश (क) सरकारी प्रतिभूतियां, (ख) अन्य प्रतिभूतियां {प्रतिभूति संविदा (विनियमन), 1956 की धारा 2(ज) में यथा परिभाषित प्रतिभूतियां} जिसके मूलधन और उस पर ब्याज की पूरी और बिना शर्त गारंटी केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। प्रतिभूतियों के इस उप-श्रेणी के अंतर्गत निवेशित पोर्टफोलियो निधि के कुल पोर्टफोलियो के 10% अधिक से नहीं होगा। (ग) म्यूचअल फंड की यूनिट सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए यथा निर्धारित निधियों के अनुसार स्थापित की जाएगी तथा इनका विनियमन भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।	न्यूनतम 45% तथा 50% तक

